आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई ... के बारे में टिप्पण ... तारीख
1	2	3

08-8-2019

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-112/2019

1. गुड्डु राय उर्फ रितेश राय, पिता-स्व0 श्यामसुन्दर राय, सा0-रामबाग सामाचौक, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया।

.... आवेदक

बनाम

राज्य

आवेदक गुड्डु राय उर्फ रितेश राय, पिता-स्व0 श्यामसुन्दर राय, सा0-रामबाग सामाचौक, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से C.W.J.C. No.-9313/2019 में दिनांक-15.07.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में मो0 3,73,634. 00 रूपये के समतुल्य दो बन्ध-पत्र तथा Under taking समर्पित करते हुए सदर थाना कांड सं0-645/18 में जप्त CAR No.-BR11AH-8117 को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। साथ ही इस वाद में जप्त MOTORCYCLE No.-BR39L-4505 एवं MOTORCYCLE MO.-BR11V-3125 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार बिना बन्धपत्र के आधार पर मुक्त किया जाना है।

अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद सदर थाना कांड सं0-645/18 के आलोक में प्रारम्भ है। जिसके अंतर्गत आवेदक के जप्त उक्त वाहन को राजसात करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार जप्त कार को बीमा राशि के समतुल्य राशि के दो बन्ध-पत्र/Undertaking के आधार पर मुक्त किया जाना है। बीमा की राशि मो0-54,928.00 रूपये प्रतिवेदित है जिसके आलोक में आवेदक द्वारा बीमा राशि के अनुरूप दो बन्ध-पत्र समर्पित किया जा चुका है, साथ ही Undertaking भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. No.-9313/2019 में दिनांक-15.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में उक्त

राशि के **बन्ध-पत्र** एवं **Undertaking** के आधार पर **सदर थाना कांड सं0-645/2018 में** जप्त **CAR No.-BR11AH-8117** को तत्काल इस शर्त पर मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि न्यायालय द्वारा कभी भी आदेश दिए जाने पर आवेदक को उक्त वाहन वापस करना होगा। आवेदक को यह भी निदेश दिया जाता है कि अगले आदेश तक वाहन के स्वरूप में परिवर्त्तन नहीं करेंगे और न ही इसका हस्तातंरण करेगें। **थानाध्यक्ष, सदर** को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन के स्वामित्व का सत्यापन कर उचित पहचान पर वैध स्वामी को वाहन हस्तगत करा देंगे, परन्तु वाहन हस्तगत कराने के पूर्व जप्त वाहन का फोटोग्राफ लेकर उसपर वाहन मालिक का हस्ताक्षर करा लेंगे। साथ ही पंचनामा तैयार कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। साथ ही जप्त **MOTORCYCLE No.-BR39L-4505 एवं MOTORCYCLE MO.-BR11V-3125** को भी स्वामित्व का सत्यापन कर उचित पहचान पर वैध स्वामी को हस्तगत करा देंगे। आदेश की प्रति **उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।